समावेशी पद्धतियों की दिशा में कुछ छोटे–छोटे क़दम

जयना जगानी और रीमा कौर

समावेशन का अर्थ केवल बड़े नीतिगत बदलाव करना या उन बदलावों का अपने स्कूलों में आने का इन्तज़ार करना नहीं है। शिक्षिका श्रीमती अनीता और श्रीमती बबीता के पास समावेशी शिक्षा और अलग-अलग ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने का कोई ख़ास प्रशिक्षण नहीं है, फिर भी वे विशेषज्ञों की सलाह से सभी शिक्षार्थियों के लिए पाठों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं।

चित्र 1 : समावेशन, यानी सभी बच्चों की भागीदारी

शब्द चित्र 1

हर्षिता 6 साल की है। वह मेरठ के ग्रामीण इलाक़े के एक ऐसे निजी स्कूल में जाती है जहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। जब वह 4 साल की थी तब उसकी माँ गम्भीर रूप से बीमार पड़ गई। इसके कारण हर्षिता एक साल से ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाई, और उसकी पढ़ाई में भी रुकावट आई। जब वह लगभग 6 साल की हुई तब फिर से स्कूल जाने लगी। शिक्षकों ने हर्षिता के माता-पिता को सलाह दी कि वे उसे पढ़ने और लिखने का अभ्यास करवाएँ ताकि वह पाठ्यक्रम को समझ सके।

पहली कक्षा में, अँग्रेज़ी, हिन्दी व्याकरण, गणित, आदि विषयों को सीखने के लिए अलग-अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं, जिन्होंने हर्षिता को परेशान कर दिया। किसी भी तरह के लिखित काम को लेकर वह हताश होने लगी। नतीजतन, वह दूसरे बच्चों को मारने लगती, चीख़ने-चिल्लाने लगती, और कभी-कभी रोने भी लगती। जब यह सब नियमित रूप से होने लगा तो शिक्षकों ने हर्षिता के माता-पिता को बुलाया। उसकी माँ ने उनका साथ दिया, और हर्षिता के व्यवहार को पहचानने की कोशिश की। "मैम, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। आप जानती हैं कि यह ऐसी ही है। इसे कम काम देना क्लास में, मैं घर पर बाक़ी का करवा दूँगी," हर्षिता की माँ बस इतना ही कह सकीं।

शिक्षिका श्रीमती अनीता ने हर्षिता को लिखने का कम काम देकर उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। यदि कक्षा को 8-10 शब्द लिखने होते तो हर्षिता से केवल 4-5 शब्द ही लिखने को कहा जाता। शिक्षिका हर्षिता की नोटबुक में प्रश्न लिख देतीं ताकि हर्षिता उत्तर देने पर ध्यान दे सके। उन्होंने हर्षिता को शान्त रहने की, गहरी साँस लेने जैसी कुछ तकनीकें सिखाने के साथ ही, विभिन्न भावनाओं, जैसे ख़ुशी / दुःख / ग़ुस्सा / हताशा, आदि के फ़्लैशकार्डों का भी इस्तेमाल किया। हर्षिता अब अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से सँभाल पाती है। दिलचस्प बात यह है कि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी ऐसा करना सीख रहे हैं।

शब्द चित्र 2

12 वर्षीय मयूर कुछ वर्षों से स्कूल जा रहा था। उस दौरान पता चला कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हालाँकि यह बीमारी हल्की थी, लेकिन उसे बार-बार दौरे पड़ते थे। उसके माता-पिता उसे कुछ ऐसे डॉक्टरों के पास ले गए जिनका ख़र्चा वे उठा सकते थे। मयूर की हालत अब स्थिर है। लेकिन दवाओं के कारण उसे अकसर कक्षा में नींद आती है। वैसे तो उसने भाषा और अंकगणित में अच्छी क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन उसे 40 मिनट तक ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई होती है।

मयूर की माँ उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, लेकिन उन्होंने उसे 'आलसी' और 'बेकार' कहना शुरू कर दिया है। मयूर के पिता शान्त, अलग-थलग और उसकी स्कूली शिक्षा को लेकर उदासीन हो गए हैं। वे मयूर के बारे में किसी भी तरह की चर्चा में शामिल होने से कतराते हैं। माता-पिता ने पाँचवीं कक्षा में मयूर का दाख़िला कम फ़ीस वाले एक निजी स्कूल में करवाया।

शिक्षिका श्रीमती बबीता ने देखा कि अगर मयूर को दिन में थोड़ी देर सोने दिया जाए तो कक्षा में उसका ध्यान और गतिविधि काफ़ी बढ़ जाती है। वे सामूहिक गतिविधियाँ भी आयोजित करती हैं ताकि अन्य बच्चे मयूर को एक मित्र के रूप में जान सकें। अब वह बाहर जाता है, और अन्य सभी बच्चों की तरह खेलता है। शिक्षिका भी मयूर के स्वास्थ्य की स्थिति को समझने की कोशिश करती हैं, और उसकी प्रगति पर नज़र रखती हैं।

एक दिन जब मयूर को कक्षा में हल्का दौरा पड़ा तब पूरी कक्षा ने उसकी मदद की। ऐसे अनुभवों ने मयूर के माता-पिता को आश्वस्त किया। उन्होंने अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान झिझकते हुए शिक्षिका से स्कूल में मयूर के स्वास्थ्य, आदि के बारे में जानकारी ली।

सभी बच्चों को शामिल करना

हर्षिता और मयूर दोनों में कोई विकलांगता नहीं है। दोनों ही कम फ़ीस वाले एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने बहिष्करण/अस्वीकृति का अनुभव किया। मयूर के मामले में तो उसके घर का माहौल ही बहिष्कारपूर्ण है क्योंकि उसके परिवार वाले उसे 'आलसी' और 'बेकार' कहकर उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए उसे भावनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालाँकि समावेशन अकसर विशेष दक्षता वाले बच्चों को शामिल करने से जुड़ा होता है, लेकिन समावेशी होने का मतलब सभी बच्चों का स्वागत करना और उनका समर्थन करना है।

हर्षिता की स्कूली शिक्षा में रुकावट आई, जिससे उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हुई। परिवार में किसी की बीमारी या मृत्यु, ख़राब स्वास्थ्य, रुपए-पैसों की समस्या, मौसमी प्रवासन, संघर्ष क्षेत्रों में हिंसा, आदि के कारण स्कूली शिक्षा में रुकावट के मामले अकसर सामने आते हैं। हर्षिता इनसे निपटने के लिए अप्रिय व्यवहार का सहारा लेती है। हमने देखा कि उसकी माँ समस्या को समझती थीं, और स्कूल के साथ सहयोग करने की कोशिश करती थीं। अधिकांश माता-पिता ऐसा प्रयास नहीं करते हैं।

मयूर के मामले में हमने देखा कि मिर्गी की पुरानी बीमारी बच्चे की स्कूली शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता को काफ़ी प्रभावी कर सकती है। मिर्गी को अकसर एक छिपे हुए या अदृश्य विकार के रूप में जाना जाता है। यह बीमारी तब तक प्रकट नहीं होती जब तक किसी को दौरा न पड़ जाए। इस बीमारी को सामाजिक पूर्वाग्रह के तौर पर देखा जाता है, और इससे पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। मयूर को भी सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसे एक सहयोगी वातावरण की आवश्यकता है।

सभी परिदृश्यों में समावेशन

हर्षिता की शिक्षिका, श्रीमती अनीता, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि उसपर ज़्यादा बोझ न पड़े। वे शिक्षण के आज़माए हुए सिद्धान्तों को लागू करने के प्रति सजग हैं। जैसे कि शिक्षार्थी के पूर्वज्ञान पर विचार करना और उसे सहारा देना, सीखने में प्रामाणिकता लाने के लिए शिक्षण को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, उसके सीखने की गति और विकासात्मक प्रगति के प्रति संवेदनशीलता दिखाना, और सही मात्रा में चुनौती देना ताकि सीखना बोरियत पैदा न करे, बल्कि मज़ेदार और आकर्षक हो। संक्षेप में कहें तो, शिक्षिका ने यह दिखाया कि कैसे एक चौकस, संवेदनशील और विचारशील शिक्षक बनकर समावेशन का प्रयास किया जा सकता है।

मयूर की शिक्षिका, श्रीमती बबीता, उसके शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अगर मयूर को अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे समर्थन देना महत्त्वपूर्ण है। लेकिन इस दिशा में पहला क़दम यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल में उसका स्वागत हो, और वह सहज व सुरक्षित महसूस करे। इस बात पर ध्यान दें

कि कैसे शिक्षिका न केवल मयूर के माता-पिता का विश्वास जीतती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि मयूर को स्कूल में किसी सामाजिक पूर्वाग्रह या भेदभाव का सामना न करना पड़े। हर्षिता और मयूर के उदाहरण दिखाते हैं कि जिन बच्चों को विशेष देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, उनका समर्थन करने में स्कूलों और शिक्षकों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जहाँ संयोग से ऐसे प्रतिबद्ध शिक्षक मिल जाते हैं, वहाँ हम सीखने के सार्थक अनुभवों को मूर्त रूप में देख सकते हैं। दोनों शिक्षिकाएँ बच्चों को कक्षा में सहज महसूस कराने, और बेहतर ढंग से सीखने के लिए छोटे-छोटे शैक्षणिक कार्य करती हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें और अच्छे संसाधन दिए जाएँ तो वे कितना परिवर्तन ला सकती हैं!

यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें शिक्षक ख़ुद से पूछकर यह समझ सकते हैं कि क्या उनकी कक्षाएँ सभी बच्चों के लिए समावेशी हैं। इन्हें समावेशी कक्षाएँ बनाने के दिशा-निर्देशों के रूप में देखा जा सकता है।

पाठ्यक्रम के पहलू	शुरुआती क़दम	अगले क़दम
सीखने का माहौल (भौतिक)	• क्या कक्षा के अन्दर / पास किसी प्रकार की ध्यान बँटाने वाली रोशनी या शोर है? • क्या सभी बच्चे कक्षा की सामग्रियों और अन्य संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं?	• क्या कक्षा का स्थान सभी बच्चों के लिए आरामदायक है? • क्या ब्लैकबोर्ड और प्रदर्शित की गई अन्य चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? • क्या फ़र्नीचर की व्यवस्था लचीली और सीखने के लिए अनुकूल है?
सीखने का माहौल (सामाजिक)	• क्या बच्चे पानी पीने या शौचालय जाने में ख़ुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं? • क्या बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछने और अपनी भावनाएँ साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं?	• क्या बच्चों को हर रोज़ स्कूल आना अच्छा लगता है? • क्या उन्हें अपने स्कूल के पूरे दिन के बारे में आपसे और अपने दोस्तों से बात करना पसन्द है?
रोज़ की दिनचर्या / समय सारिणी	• क्या बच्चों को लम्बे समय तक बैठना पड़ता है? • क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का मन काम में नहीं लग रहा है या वे थके हुए हैं?	• क्या प्रत्येक कालांश की अवधि बच्चों के लिए उपयुक्त है? • क्या कोई ऐसा कालांश है जो बच्चों को गतिविधि चुनने देता है? • क्या शौचालय और दोपहर के भोजन के लिए निर्धारित अन्तराल हैं?
विषय वस्तु (पाठ्य पुस्तकें और अन्य टीएलएम)	• क्या विषय वस्तु बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभवों से सम्बन्धित है? • क्या विषय वस्तु के विषय और थीम ऐसी हैं जिनमें बच्चों को रुचि हो?	• क्या विषय वस्तु शिक्षार्थियों के सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ के अनुकूल है? • क्या आपने विषय वस्तु को इस तरह से संशोधित किया है कि यह सभी बच्चों के लिए सुलभ हो? • क्या विषय वस्तु बहु-संवेदी है, और अलग-अलग प्रारूपों में प्रस्तुत की गई है?
शिक्षणशास्त्र	• क्या आपकी शिक्षण पद्धति खेल आधारित है, जिसमें बच्चों के लिए अन्तःक्रिया की गुंजाइश है? • क्या बच्चों के पिछले अनुभवों को शामिल किया गया है और उन्हें महत्त्व दिया गया है? • क्या आप बच्चों की घरेलू भाषाओं का स्वागत करते हैं?	• क्या गतिविधियाँ विकास के सभी क्षेत्रों के लिए सन्तुलित हैं? • क्या आप शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन इस तरह से करते हैं जिससे वे बेहतर तरीक़े से सीख सकें?
आकलन	• क्या आप अलग-अलग परिस्थितियों में बच्चों का अवलोकन करते हैं? • बच्चे जो कुछ जानते हैं, क्या उनके पास उसे व्यक्त करने के अलग-अलग तरीक़े हैं?	• क्या पेपर-पेंसिल टेस्ट / परीक्षा या वर्कशीट पर कम ज़ोर दिया जाता है? • क्या विकास के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आकलन किया जाता है? • क्या आप आकलन से प्राप्त समझ के आधार पर अपनी पाठ योजना बनाते हैं?

समावेशी शिक्षा : एक अधिकार के रूप में

हमारे देश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं।

इसके अलावा हमारे देश के दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 में कहा गया है कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच सन्दर्भित दिव्यांगता वाले किसी भी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार और दिव्यांगजन अधिकार, हमारे देश में ऐतिहासिक अधिनियम हैं। लेकिन पहुँच का मतलब समावेशन नहीं है। सम्भव है कि दिव्यांग बच्चों सहित बच्चों का एक विविध समूह एक ही स्कूल में जाता हो, और उन्हें एक ही समय सारिणी के अनुसार एक ही शिक्षक द्वारा एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो, लेकिन फिर भी ये बच्चे प्रतिदिन कई तरह के अलगावों का अनुभव करते हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, "समावेशन शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों में से एक है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के सामने आने वाले शैक्षिक अन्तर को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।"

समावेशी अभ्यास के लिए छोटे क़दम

जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, वहाँ भाषाओं, परिवारों, संस्कृतियों, सीखने की ज़रूरतों और रुचियों की विविधता होती है। इसलिए समावेशी शिक्षा प्रदान करना मुख्यधारा के स्कूलों की ज़िम्मेदारी है। अगर हमारे स्कूल समावेशी नहीं हैं तो निश्चित रूप से समाज भी समावेशी नहीं हो सकता।

"समावेशन – शामिल करने का काम; यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के व्यक्तिगत सीखने के अन्तर की परवाह किए बिना, उनके पास स्कूल और कक्षा की सभी प्रक्रियाओं में भाग लेने के समान अवसर हैं।" *एनसीएफ-एफएस 2023, एनसीईआरटी, नई दिल्ली*

प्रमुख नीतिगत बदलाव इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बुनियादी ढाँचे, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और अन्य संसाधन सामग्रियों, शिक्षण विधियों और आकलन पर ध्यान देते हैं। लेकिन समावेशन का मतलब केवल बड़े बदलाव करना, या अपने स्कूलों में उन बदलावों के शुरू होने का इन्तज़ार करना नहीं है। श्रीमती अनीता और श्रीमती बबीता, दोनों समावेशी शिक्षा, क्रॉस डिसेबिलिटी शिक्षा या विशेष शिक्षा में ख़ासतौर से प्रशिक्षित नहीं हैं, फिर भी वे विशेषज्ञों की सलाह लेकर अपने शिक्षण को अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की पूरी कोशिश करती हैं।

समावेशन के सिद्धान्त पर लम्बे समय से चर्चा होती रही है। समावेशी सक्रियता सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों और कमज़ोर लोगों की आवाज़ के लिए बढ़ती माँग का परिणाम है (किन्सैला और सीनियर, 2008)। शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, और यहाँ तक कि अभिभावकों को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, और उन्हें समावेशन के लिए कार्य करने की जानकारी से लैस होना चाहिए।

अँग्रेज़ी से नलिनी रावल द्वारा अनुवादित।

सन्दर्भ

Government of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or The Right to Education Act, 2009. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf

Government of India. (2016). The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf

Kinsella, W., & Senior, J. (2008). 'Developing inclusive schools: a systemic approach'. *International Journal of Inclusive Education,* 12(5–6), 651–665. https://doi.org/10.1080/13603110802377698

Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

NCERT. (2022). *National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022*. https://ncert.nic.in/pdf/NCF_for_Foundational_Stage_20_October_2022.pdf

जयना जगानी वर्तमान में मेरठ में एक परिवार द्वारा संचालित स्कूल की केजी विंग 'बुनियाद' में खेल-आधारित पाठ्यक्रम को शामिल करने का प्रयास कर रही हैं। वे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, और उन्होंने अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक एसोसिएट के रूप में काम किया है।

सम्पर्क : jaynajagani@gmail.com

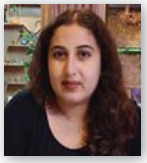

रीमा कौर अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु के स्कूल ऑफ़ कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर (SCE–URC) में सहायक प्रोफ़ेसर हैं। वे प्रारम्भिक भाषा व साक्षरता और प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखती हैं।

सम्पर्क : rima.kaur@azimpremjifoundation.org